

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
प्रकरण संख्या:- 08/2025
ucms सं.- 2025/396

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धारणा व भूअ.नि धारणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, ग्राम पंचायत धारणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ताण्डाबेरा	281, 282	हड़मानाराम पुत्र जवाराराम	हनुमानसिंह उर्फ हड़मानाराम पुत्र जोहारसिंह उर्फ जवाराराम
2	रेलो की सरा	85, 86, 88, 89, 90,		
3	देवपुरा	101, 228, 229, 230, 231, 232,		

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/1577
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 27.09.2025

1. तहसीलदार सिवाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी हनुमानसिंह पुत्र जोहारसिंह जाति पुरोहित निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

